छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 31 मार्च, 2011 (चैत्र 10, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2002-2003 **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2008-2009 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2009-2010 **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 **पटल पर रखेंगे.**

(4) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 **पटल पर रखेंगे.**

(5) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री खेदूराम साहू, सदस्य, जिला-राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम-रामपुर में संचालित पटाखा कारखाना में सुरक्षा व्यवस्था न होने से मजदूर की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला-दंतेवाड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 के निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान किये जाने के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश: 2

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला-जांजगीर चांपा में जिला आबकारी सलाहकार समिति के निर्णय के विरूद्ध शराब की दुकानों का स्थानांतरण निरस्त किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला-जांजगीर चांपा में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कार्य अपूर्ण होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला-कबीरधाम में लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में अनियमितता व्याप्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य, जिला-राजनांदगांव, मोहला विकासखण्ड के कन्या आश्रम छात्रावास के अधीक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला-कोरबा में किसान व कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, सांई फुड्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से वित्तीय कार्य किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री देवजी भाई पटेल,धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित कालेजों में सहायक प्राध्यापकों की कमी होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, जिला-सरगुजा, थाना-चंदोरा के ग्राम-गोरगी में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री भजनसिंह निरंकारी, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, डी.एस. वॉईकॉन कम्पनी द्वारा फोरलेन सड़क की देखरेख में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री संतोष बाफना, सदस्य,जगदलपुर शहर का राजस्व नक्शा तैयार न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत निर्मित एकीकृत जांच चौकी में कम्प्यूटरीकृत तौलकांटा न लगाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति, प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य, पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुम्हारी में महाविद्यालय खोलने तथा

(2) श्री रामदेव राम, सदस्य, पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्हारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 3

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

30 मिनट (1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (2) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (3) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि :- ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति, प्रस्ताव करेंगे कि:- दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

रायपुर
दिनांक 30 मार्च, 2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.